<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,(ई0सी0एक्ट),गोरखुपर।</u>

उपस्थितः–शशि भूषण कुमार शांडिल, (एच0जे0एस0)

राज्य ———————— बनाम ————————अशोक श्रीवास्तव वगै0।

विशेष परीक्षण सं0–1098/2020
मु0अ0सं0–498/2018
धारा– 138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना–शाहपुर, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक–08.09.2022

1– पत्रावली पेश हुई। आवेदक/अभियुक्त रामप्यारे अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित है। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता उपस्थित है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी बार बार न्यायालय मे आकर मुकदमा लडने में असमर्थ हैं। जुर्म स्वीकृति के आधार पर अपना मुकदमा समाप्त कराना चाहता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी की संस्वीकृति के आधार पर प्रार्थी पर न्यूनतम आर्थिक दण्ड आरोपित करते हुये मुकदमे की कार्यवाही न्यायहित में समाप्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की संस्वीकृति के आधार पर न्यूनतम आर्थिक दण्ड से आरोपित करते हुये मुकदमें की कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करें।

2– मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3– पत्रावली के परिशीलन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा बकाया विच्छेदन में काटी गयी लाईन को बिना भुगतान किये पुनः एल0टी0 लाईन जोड़कर अवैध रूप से विद्युत चोरी करने का अपराध किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त का कोई अपराधिक पूर्ववृत अभियोजन द्वारा उपलब्ध नही कराया गया है। प्रस्तुत मामले मे अभियुक्त के संस्वीकृति तथा उसके द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन प्रपत्रो के प्रमाणिकता को स्वीकार किये जाने के आलोक में अभियुक्त को धारा–138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध मे दोषसिद्ध किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अपराध की प्रकृति व अभियुक्त के आपराधिक पूर्ववृत की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये दृष्टिगत अभियुक्त के संस्वीकृति के आधार पर उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। धारा–138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या दस हजार रूपये तक के जुर्माने या दोनो से दण्डित किये जाने का

प्रावधान है। दोषसिद्ध का अपराध शमनीय प्रकृति का है, अतः उसके विरूद्ध अर्थदण्ड का अधिरोपण प्रस्तुत मामले में न्याय की मंशा के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पर्याप्त है।

तद्नुसार अभियुक्त को रूपये 2500/—रूपये (दो हजार पॉच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध रामप्यारे को एक माह का कारावास भुगतना होगा।

शशि भूषण कुमार शांडिल
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(ई0सी0एक्ट),गोरखपुर।